भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 105
(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

एलएलपी कानून निपटान योजना

***105. श्री तेजस्वी सूर्याः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के द्वारा अनुपालन किए जाने को सुगम बनाने के लिए 'कंपनी कानून और एलएलपी कानून निपटान योजना, 2025' शुरू करने का विचार है;
(ख) सरकार द्वारा एक निर्बाध प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा एमसीए-21 वी3 पोर्टल पर अपने लंबित दस्तावेज़ और ई-फॉर्म दाखिल किए जाने में कंपनियों तथा एलएलपी के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार का पोर्टल पर दाखिल किए जाने में तकनीकी त्रुटियों के कारण वास्तव में होने वाली देरी के लिए ऐसी कंपनियों और एलएलपी को अभियोजन, दंड या अतिरिक्त शुल्क से बचाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 28.07.2025 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *105 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी नहीं, महोदय। वर्तमान में ऐसी कोई 'कंपनी कानून एवं एलएलपी कानून निपटान योजना, 2025' विचाराधीन नहीं है।

(ख) मंत्रालय ने कंपनियों और एलएलपी के लिए अनुपालन हेतु एक निर्बाध प्रक्रिया प्रदान करने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं, जैसे-

(i) एमसीए21 वी3 पोर्टल में 79 प्ररूप हैं, जिन्हें एसटीपी (सीधी प्रक्रिया द्वारा) या सशर्त एसटीपी आधार पर संसाधित किया जाता है, जिससे मानव अंतःक्षेप के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप स्वीकार किए जाते हैं, जिससे 'अनुपालन में आसानी' और 'व्यापार करने में सुगमता' होती है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के अंतर्गत कंपनियों की स्वैच्छिक समाप्ति प्रक्रिया को केंद्रीकृत और त्वरित करने हेतु, कारपोरट निकासी प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना 17 मार्च 2023 को एमसीए अधिसूचना संख्या का.आ 1269(अ) के द्वारा की गई थी ताकि व्यवसाय करने की सुगमता के एक भाग के रूप में निकास की सुगमता को सक्षम बनाया जा सके। दिनांक 5 अगस्त, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 475(अ) के तहत मंत्रालय ने सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को हटाने से संबंधित ई-प्ररूप के संसाधन के लिए सी-पेस को सशक्त बनाकर सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को हटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया है।

(iii) केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना 12 गैर-एसटीपी फॉर्मों अर्थात, एमजीटी-14 (संकल्पों और समाधानो को फाइल करना), एसएच-7 (पूंजी में परिवर्तन), आईएनसी-24 (नाम में परिवर्तन), आईएनसी-6 (एकल व्यक्ति कंपनी का निजी या सार्वजनिक में रूपांतरण, या निजी से ओपीसी में रूपांतरण), आईएनसी-27 (निजी से सार्वजनिक में रूपांतरण या इसके विपरीत), आईएनसी-20 (अधिनियम की धारा 8 के तहत लाइसेंस का निरसन/समर्पण), डीपीटी-3 (जमा राशि की वापसी), एमएससी-1 (निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन), एमएससी-4 (सक्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन), एसएच-8 (बाय-बैक के लिए प्रस्ताव पत्र), एसएच-9 (सॉल्वेंसी की घोषणा), एसएच-11 (प्रतिभूतियों की बाय-बैक के संबंध में रिटर्न) के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एमसीए अधिसूचना संख्या का.आ सं. 446(अ) दिनांक 2 फरवरी, 2024 द्वारा की गई । सीपीसी की स्थापना विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फाइल आवेदनों और प्ररूपो के त्वरित प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, ताकि कंपनियां कारपोरेट विधानों के तहत अपने विभिन्न अनुपालनों को आसानी से पूरा कर सकें।

(iv) संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करने के लिए 16 सितंबर, 2024 से वी3 में ई-न्यायनिर्णयन मॉड्यूल स्थापित किया गया है। न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक सभी कार्यकलाप

जैसे मामला सृजन, ई-सुनवाई, कारण बताओ नोटिस जारी करना, आदेश जारी करना और जुर्माना वसूलना, ऑनलाइन किए जाते हैं। इस प्रक्रिया से कंपनियों के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन वी.सी. के माध्यम से न्यायनिर्णयन कार्यवाही में भाग लेना आसान हो गया है।

(v) वी3 प्रणाली वेब-आधारित प्ररूप भरने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वास्तविक समय सत्यापन और सभी प्ररूपों में सामान्य फ़ील्ड की स्वतः पूर्व-भरण में सुधार होता है। डुप्लिकेट/अनावश्यक फ़ील्ड को हटाकर, वी3 में प्ररूप में कॉलम का अनुकूलन भी किया गया है।

(vi) एमसीए21 वी3 पोर्टल पर लिंक किए गए प्ररूप अनुपालन को आसान बनाने और संबंधित फाइलिंग को एक साथ एकीकृत करके पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे व्यावसायिक जानकारी का पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित होता है।

(vii) सभी हितधारकों के लिए एमसीए21 वेबसाइट द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं तक पहुंच के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया है, जिसमें एप्लिकेशन डैशबोर्ड, नोटिस, परिपत्र आदि शामिल हैं।

वी3 में फाइलिंग में लगातार वृद्धि देखी गई है और फाइलिंग की संख्या 2020-21 में लगभग 67.1 लाख से बढ़कर 2024-25 में लगभग 87.7 लाख हो गई है। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2020-21 में 2.10 लाख की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 2.50 लाख से अधिक कंपनियों और एलएलपी को निगमित किया गया।

ग) (i) एमसीए21 वी3 प्रणाली सेवा-संबंधी शिकायत टिकट के माध्यम से शिकायत दर्ज/पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करती है। इससे एक विशिष्ट टिकट संख्या उत्पन्न होती है, जिससे हितधारक अपनी शिकायत की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। यह एमसीए की ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है।

ii) सरकार ने उचित कारणों से अतिरिक्त शुल्क लगाने के संबंध में हितधारकों को समय-समय पर राहत दी है। हाल ही में, एमसीए21 V3 में वार्षिक फाइलिंग और अन्य संबंधित प्ररूपों को सुचारू रूप से जारी करने के लिए, दिनांक 16.06.2025 के सामान्य परिपत्र संख्या 01/2025 के माध्यम से, यह स्पष्ट किया गया था कि जिन मामलों में फॉर्म एओसी-4, एओसी-4 एनबीएफसी, एओसी-4 सीएफसी, एओसी-4 सीएफसी एनबीएफसी, एओसी-4 एक्सबीआरएल, एमजीटी-7/एमजीटी-7A, एमजीटी-15, जीएनएल-1, लीप-1, एडीटी-1, एडीटी-3, सीआरए-2, सीआरए-4 या उनके पुनः प्रस्तुतीकरण की नियत तिथि 18.06.2025 से 31.07.2025 के बीच हो, उन्हें अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना 15.08.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

*****